भारत में मीडिया और राज्यः कालक्रम

जीबेश बागची

यही वह कमबख़्त तार है जो हमारा गला घोंटता है।
- टेलीग्राफ़ के बारे में सन् सत्तावन के एक बाग़ी का ख़याल

प्रतिपादन युग

1885 भारतीय टेलीग्राफ़ अधिनियम

'टेलीग्राफ़' का मतलब किसी ऐसे यन्त्र, उपकरण, सामग्री या साधन से है जो तार, दृश्य अथवा दूसरे वैद्युत-चुम्बकीय, रेडियो अथवा हर्ट्ज़ियन तरंगों, विद्युत अथवा चुम्बकीय माध्यमों के द्वारा संकेतों, चिन्हों, लेखन, चित्रों और आवाज़ों का किसी भी प्रकार की सूचनाओं के प्रसारण या अभिग्रहण में इस्तेमाल किया जाता है या किया जा सकता है।

भारत में केन्द्र सरकार को टेलीग्राफ़ की स्थापना, रख-रखाव और चलाने का एकमात्र विशेषाधिकार होगा।

1918 सिनेमैटोग्राफ़ अधिनियम (चलचित्र प्रक्षेपी अधिनियम)

'सिनेमैटोग्राफ़' के अन्तर्गत ऐसा कोई भी संयंत्र आता है जो चल-चित्रों अथवा चित्र-श्रृंखला का प्रदर्शन करता हो। 'स्थान' या जगह का मतलब घर, मकान (तम्बू अथवा किसी भी प्रकार के परिवहन जल, थल या वायु, कहीं भी)। 'निर्दिष्ट' का मतलब इस अधिनियम के द्वारा बताए गए।

सिनेमैटोग्राफ़ की प्रदर्शनी लाइसेंसी होगी। सिवाय इस अधिनियम की दीगर शर्तों के अनुरूप, कोई भी व्यक्ति सिनेमैटोग्राफ़ के माध्यम से इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त लाइसेंसी स्थान के अलावा एवम् इस अनुज्ञप्ति द्वारा आरोपित शर्तों और पाबन्दियों के विपरीत और कहीं भी कोई प्रदर्शन नहीं करेगा।

1923 राजकीय गोपनीयता अधिनियम (Official Secrets Act)

इसका उद्देश्य राज्य की सुरक्षा को गुप्त सूचना के रिसाव या नष्ट होने की स्थिति आदि के संभावित ख़तरे से बचाना है।

1932 भारतीय सीमा-शुल्क (वायरलेस प्रसारण) संशोधन अधिनियम वायरलेस अनुग्राही यंत्र पर 50 प्रतिशत सीमा शुल्क निर्धारित किया गया।

1933 भारतीय टेलीग्राफ़ी अधिनियम (स्वामित्व के नियमों के साथ)
भारतीय टेलीग्राफ़ अधिनियम (1885) ने सिर्फ़ बेतार संयंत्र के संस्थापन, सम्पोषण एवम् कार्यान्वयन के नियंत्रण का अधिकार दिया था। वायरलेस संयंत्र के स्वामित्व पर कोई रोक-टोक नहीं थी तथा बिना इस सबूत के कि वायरलेस संयंत्र का इस्तेमाल प्रसारण या अधिग्रहण के लिए किया गया है, अभियुक्ति असंभव थी। इस अधिनियम ने बेतार संयंत्र के स्वामित्व को नियन्त्रित करने का अधिकार दिया।

1939 जनवरी 16ः सम्पूर्ण भारत में पहली बार पायरेसी-विरोधी मुहिम।

1941 सूचना और प्रसारण विभाग की स्थापना हुई।

1948 संचार, राष्ट्रीय योजना समिति (कम्युनिकेशन, नैशनल प्लानिंग कमेटी) की उप-समिति की रिपोर्ट।
"आधुनिक जनतंत्र की एक बहुत बड़ी ख़ामी अगर निरक्षरता नहीं तो ऐसे तमाम ज़रूरी मालूमात से औसत नागरिक की दुर्दांत अनभिज्ञता है जो उनकी ज़िंदगी को प्रभावित करती हैं। अतएव नेताओं को न केवल उनकी योग्यता से ज़्यादा महत्व मिलने लगता है बल्कि वे अपने ही नारों और भाषणबाज़ी से सम्मोहित होकर धीरे-धीरे खुद को छलने लगते हैं। शिक्षा, सच्चे प्रबन्धन की महत्ता कम होने लगती है एवं तटस्थ जानकारी और वैज्ञानिक आँकड़ों का उपयोग कुछ विशेष परिस्थितियों में ही अपनी बात रखने में किया जाने लगता है। कोई व्यक्ति जितना ही कम जानता है उतना ही बोलता है, जितना ही ज़्यादा वो बोलता है उतना ही कम उसे समझा जाता है, अतएव जनतांत्रिक प्रतिनिधित्व का यह मार्का बन जाता है कि सर्वज्ञता का ढोंग करके जो नेता कहीं और किसी भी मौक़े पर शब्दाडम्बर का जाल बुनता है, उसे उतना ही अधिक सम्मान मिलता है। फलस्वरूप प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता की चोटी पर पहुंचना बहुत आसान हो जाता है और इसके लिए अख़बारों एवं पत्रिकाओं की प्रमुख ख़बरों में लगातार बने रहना ही एकमात्र शर्त होती है"।

सुसंगठन युग

1951 भारतीय टेलीग्राफ़ अधिनियम (1895) का पूरे भारत में विस्तार कर दिया गया।

1952 सिनेमैटोग्राफ़ अधिनियम संशोधित। सम्पूर्ण भारत में लागू।

1957 स्वत्वाधिकार (प्रकाशनाधिकार या Copyright) अधिनियम

1964 प्रसारण और सूचना मीडिया के बारे में अशोक के. चन्दा समिति की रिपोर्ट
"भारतीय संदर्भ में, प्रसारण जैसे रचनात्मक माध्यम का विभागीय नियम-क़ानूनों के अनुशासन के अधीन उन्नति करना संभव नहीं है। केवल सांस्थानिक बदलाव के ज़रिये ही आकाशवाणी को सरकार की मौजूदा सख़्त वित्तीय व प्रशासनिक कार्यप्रणाली से मुक्त किया जा सकता है"।

1970 केन्द्र सरकार द्वारा लोकसभा को सूचित किया गया कि वर्तमान समय ऑल इंडिया रेडियो को एक स्वतंत्र कॉरपोरेशन में तब्दील करने पर विचार करने के लिए उपयुक्त नहीं है।

1975 जून 25: आंतरिक आपातकाल की घोषणा
आकाशवाणी को सेंसर के अधीन किया गया। आकाशवाणी (एआइआर) कोड को अनुपयुक्त बताकर रद्द कर दिया गया।

1975 अगस्त 1: सैटेलाइट इन्स्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेन्ट (SITE) लॉन्च किया गया।

1977 सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 'आकाशवाणी और दूरदर्शन' की स्वायत्तता पर कार्य दल गठित।
अध्यक्ष: बी जी वर्गीस

1978 आकाश भारती विधेयक
"आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्त निकाय बनाने की वर्गीस ग्रुप की अनुशंसा को सरकार ने नहीं मानने का फ़ैसला किया है, क्योंकि इस तरह की संस्था उन मासमीडिया को योग्य बनाने के लिए ज़रूरी नहीं समझी जाती है जिनका मूल उद्देश्य ऐसे लोगों की सेवा करना है, जिन्हें दूसरी मीडिया की सेवा प्राप्त नहीं है"।

1978 भारतीय फ़िल्म प्रयोग की स्वायत्तता पर कार्यदल का गठन।
सरकार का विचार यह था कि फ़िल्म्स डिवीज़न को पहले से ही पर्याप्त कार्यात्मक स्वायत्तता मिली हुई है, ख़ासकर रचनात्मक एवं उत्पादन मामलों में तथा बड़ी फ़िल्मों की तुलना में। यहाँ तक कि नाटकीय और पद्यात्मक फ़िल्में भी मौजूदा फ़िल्म्स डिवीज़न के ढाँचे के अन्तर्गत बनायी जा सकती हैं अथवा बनायी जा रही हैं। तदनुसार, इस वर्किंग ग्रुप को ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया।

1982 वर्किंग ग्रुप ऑन साफ़्टवेयर फ़ॉर दूरदर्शन। अध्यक्ष: पी सी जोशी
"... एक असमान समाज में लोग अलग-अलग तरह से जीते हैं, सोचते हैं और महसूस करते हैं। अनियंत्रित बाज़ारी ताक़तों के भरोसे छोड़े गए संचार की प्रक्रिया अथवा सॉफ़्टवेयर उत्पादन एक असमान समाज की स्वाभाविक गतिविधि के ख़िलाफ़ बराबरी लाने वाली यान्त्रिकी की तरह काम नहीं करता है। यह समाज की असमानता को ठीक करने की बजाय उसे बढ़ाता है"।

"... अगर सॉफ़्टवेयर में जनता का प्रतिनिधित्व चाहिए तो संप्रेषण की स्वतंत्रता और विकासशील देश की कमज़ोर बहुतसंख्यक आबादी के हितों में संगति ज़रूरी है। सॉफ़्टवेयर में अभिजात्यों के अति-प्रतिनिधित्व का और कमज़ोर तबक़ों के नगण्य या भ्रामक प्रतिनिधित्व का मुद्दा उतना ही गंभीर और मौलिक है जितना कि रचनात्मक स्वतंत्रता का मुद्दा..."।

1982 अप्रैल: भारत का पहला घरेलू संचार उपग्रह इनसैट 1- A, लॉन्च किया गया।
15 अगस्त: रंगीन प्रसारण की शुरुआत।
न्यून शक्ति (100 वॉट) वाले 20 ट्रांसमिटरों का आयात किया गया और उन्हें भारत के चारों कोनों में लगाया गया। दिल्ली से 'राष्ट्रीय प्रसारण' को एक ही समय में सभी दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारित करने के लिए इनसैट 1-A का इस्तेमाल किया गया।

नवम्बर: नवें एशियाई खेलों का सम्पूर्ण भारत में सीधा प्रसारण।

1984 कॉपीराइट अधिनियम में वीडियो एवं ऑडियो कैसेटों को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया।

1986 इन्डिसेन्ट रेप्रेज़ेन्टेशन ऑफ़ विमेन (प्रॉहिबिशन) ऐक्ट
(औरतों का अश्लील चित्रण {निषेध} अधिनियम)

अनिश्चय का युग

1989 प्रसार भारती (ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ़ इण्डिया) विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया।
सन् 1990 में विधेयक को अधिनियमित किया गया परन्तु लागू नहीं किया गया।

1990 केबल द्वारा सीएनएन उपलब्ध।

1991 दक्षिण एशियाई नक़्शे क़दम के साथ स्टार टीवी ने शुरुआत की।

1992 दूरदर्शन का मेट्रो चैनल शुरु हुआ।
एशियासैट पर ज़ी टीवी ने प्रसारण शुरु किया।

1994 क्षेत्रीय भाषा के कार्यक्रमों के प्रस्ताव के साथ दूरदर्शन ने दस नए उपग्रह चैनलों की शुरुआत की। दिसम्बर: 60,000 केबल ऑपरेटरों ने काम करना चालू कर दिया। एशियासैट छः चैनलों को भारत लाया — सीएनएन, सन टीवी, जैन टीवी, एशियानेट, एल टीवी और एटीएन।

1995 ज़ी टीवी ने सिटी केबल लॉन्च किया। केबल ऑपरेशन तेज़ी से फैला।
ज़ी टीवी के ट्रान्सपौन्डर पर दूरदर्शन इन्टरनैशनल की शुरुआत हुई।

1995 सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला
न्यायमूर्ति पी वी सावन्त, एस मोहन तथा वी पी जीवन रेड्डी द्वारा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार बनाम बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन।
> "... (अदालत) इस बात पर भी ज़ोर देती है कि निर्माण, संचारण और प्रसारण के सम्बन्ध में कोई भी अनन्य विशेषाधिकार या एकाधिकार मान्य नहीं है और अगर इस तरह के अनन्य एकाधिकार का दावा किया जाता है तो यह अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन होगा..."।
> "...चूँकि वायुतरंगे/आवृत्तियां जन-सम्पत्ति हैं तथा सीमित भी हैं, अतएव इनका इस्तेमाल समाज के सर्वोत्तम हित में होना चाहिए और या तो केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा या खुद अपना प्रसारण केन्द्र स्थापित कर किया जा सकता है अथवा निजी एजेंसियों सहित और दूसरी एजेंसियों को दिए जाने वाली लाइसेंसों को नियंत्रित करके..."।
> "...अगर वक्तव्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की परिधि में ज़्यादा से ज़्यादा जनसमूह तक सूचना के प्रसार का अधिकार भी आता है तो वह माध्यम (रास्ता) जो अधिकार के इस तरह की पहुंच में मदद करता है, भी इस कथित अधिकार का अटूट अंग है। सूचना का विस्तृत प्रसार या इसका महती प्रभाव अधिकार की महत्ता को सीमित नहीं कर सकता और न ही ये इसकी अस्वीकृति को सही ठहरा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सद्गुण उसके दुश्मन नहीं हो सकते हैं। यह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की विषय-सूची की अनुज्ञप्ति, नियंत्रण एवं निगरानी के बृहत्तर नियंत्रण (नियमन) को न्यायसंगत ठहरा सकता है। परन्तु, इस प्रकार के नियंत्रण का इस्तेमाल केवल अनुच्छेद 19(2) और जनहित के अनुदेश के ढाँचे के तहत किया जा सकता है। किसी अन्य आधार पर इस नियंत्रण की वकालत असंवैधानिक युक्ति की हिमायत करने के बराबर है। इस देश में जहां सरकार की वायुतरंगों/अवृत्तियों तथा प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर पूरा नियंत्रण है, इस मुद्दे पर सरकार की तरफ़ से दी जाने वाली दलील को स्वीकार करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। टेलीविज़न प्रसारण की एकमात्र एजेंसी भी उनके (सरकार) नियन्त्रण में है। वे अनुच्छेद 19(2) की धाराओं तथा 'सिनेमैटोग्राफ़ अधिनियम' के अन्तर्गत पूर्व-सेंसर व्यवस्था की ताक़त से लैस

हैं। अतएव कथित अधिकार की एकमात्र सीमा सीमित संसाधन, तथा सबके फ़ायदे के लिए उनका इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। लेकिन, जब अतिरिक्त या असीमित संसाधन होता है और जनहित में इसकी माँग होती है अथवा किसी हाल में प्रसारण नहीं रुकता है, तो सीमित संसाधन पर आधारित तर्क की वैधता लुप्त हो जाती है"।

कोई भी व्यक्ति तब तक केबल टेलीविज़न नेटवर्क नहीं चला सकता जब तक कि वह इस अधिनियम के तहत बतौर केबल ऑपरेटर प्रसारण पंजीकृत नहीं है।

1995 केबल टेलीविज़न नेटवर्क्स (रेग्युलेशन) अधिनियम

1996 नैशनल मीडिया नीति। फ़ैसले की व्याख्या वर्किंग पेपर में करती है।

>"सरकारी और ग़ैर-सरकारी रेडियो/टीवी प्रसारण के सर्वेक्षण के लिए नियंत्रक संस्था होनी चाहिए...।"

>"विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, पंचायतों/स्थानीय संस्थाओं, राज्य सरकारों, आदि द्वारा चलाए जा सकने वाले ग़ैर-व्यवसायिक प्रसारण केन्द्रों की स्थापना को संभव बनाना चाहिए एवम् उनका समुचित ध्यान रखा जाना चाहिए"।

>"एक नयी, जनोन्मुख निर्माण शैली विकसित की जानी चाहिए। यहाँ सुझाए गए नीतियों के अनुरूप भारतीय निजी क्षेत्र/राज्य सरकार/ग़ैर-सरकारी संस्थाएँ/स्थानीय सरकार को रेडियो/टीवी प्रसारण के क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए"।

>"उच्चतम नियंत्रक संस्था समाज के सभी वर्गों और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक स्वतंत्र स्वायत्त जन प्राधिकरण की तरह होना चाहिए, तथा जनता के हित में और उनके अधिकारों के अतिक्रमण को रोकने के लिए वायु तरंगों के इस्तेमाल को नियंत्रित एवं निगमित करना चाहिए"।

1996 प्रसार भारती अधिनियम को लागू करने के लिए हाई पावर कमेटी का गठन
अध्यक्षः डॉ० नितीश सेनगुप्ता

"हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के सख़्त आदेश के आलोक में घरेलू और विदेशी दोनों निजी चैनलों को अनुज्ञप्त करने, प्रसारण एवं विज्ञापन कोड के अनुसार अनुज्ञप्तियों पर उचित शर्तों को आरोपित करने एवम् जन या प्रतिनिधि संस्थाओं या उपभोक्ता फ़ोरमों से प्राप्त इन कोडों के उल्लंघन की शिकायतों को दर्ज करने और फ़ैसला सुनाने हेतु एक स्वतंत्र या स्वायत्त भारतीय रेडियो और टेलीविज़न प्राधिकरण की स्थापना की सिफ़ारिश करते हैं। प्राधिकरण के इस 'फ़रियादी' कार्यभार के अधीन प्रसार भारती द्वारा चलाए जाने वाले चैनल भी आयेंगे। यह प्राधिकरण निजी रेडियो और टेलीविज़न केन्द्रों/चैनलों के नियामक और नियंत्रक का भी काम करेगा"।

"हम सिफ़ारिश करते हैं कि स्थानीय पार्थिव (terrestrial) टीवी और रेडियो स्टेशनों की अनुमति मिलनी चाहिए। ये स्टेशन नैगमिक और पंचायती राज संस्थाओं के स्थानीय प्रसारण द्वारा जनता की सेवा में मदद करेंगे। इस उद्देश्य हेतु भारतीय टेलीग्राफ़ अधिनियम (1885) सुविधानुसार संशोधित किया जा सकता है"।

1997 प्रसार भारती कॉरपोरेशन का गठन
स्वायत्तता की व्याख्या को लेकर लड़ाई शुरु हुई और आज भी जारी है।

1998 इन्फ़ॉरमेशन टेक्नॉलजी ऐक्शन प्लान। नैशनल टास्क फ़ोर्स ऑन इन्फ़ॉरमेशन टेक्नॉलजी ऐण्ड साफ़्टवेयर डिवेलपमेन्ट का प्रधानमंत्री कार्यालय के प्राधिकरण के अधीन गठन हुआ।

1998 वीएसएनएल ने निम्नलिखित साइटों को रोका:

www.cultdeadcow.com; www.sensenet.net; www.vocaltec.com; www.netspeak.com; www.Net2phone.com.

1999 वीएसएनएल ने www.dawn.com को ब्लॉक कर दिया।

2000 'सूचना तकनीक' अधिनियम

(1)(a) 'प्रवेश' (access) का प्रयोग चाहे जिस रूप में किया जाए, उसका तात्पर्य है किसी कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम या कम्प्यूटर तंत्र (network) के तर्कशास्त्रीय, गणन या स्मृति रूपी संसाधन में प्रविष्ट होना, उसे अनुदेश देना या उससे सम्पर्क स्थापित करना।

(66) कम्प्यूटर सिस्टम की 'हैकिंग' (hacking) करनाः

(1) कोई भी व्यक्ति जो किसी व्यक्तिगत या सार्वजनिक कम्प्यूटर या कम्प्यूटर नेटवर्क में रखी सूचनाओं को जानबुझकर नुक़सान पहुँचाता है, मिटाता या बदलता है या संसाधनों में सेंध लगाता है, तो वह 'हैकिंग' का दोषी माना जाएगा।

(2) जो कोई भी व्यक्ति 'हैकिंग' का दोषी पाया जाता है उसे तीन साल तक की जेल या दो लाख तक का जुर्माना या दोनों सज़ाएँ मिल सकती हैं।

(43) कम्प्यूटर या कम्प्यूटर सिस्टम को क्षति पहुँचाने पर जुर्मानाः अगर कोई भी व्यक्ति जो कम्प्यूटर या कम्प्यूटर सिस्टम के मालिक या संरक्षक से अनुमति प्राप्त किए बग़ैरः

(a) उस कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम या कम्प्यूटर तंत्र में प्रविष्ट होता है;

(b) किसी आंकड़े, कम्प्यूटर का डेटाबेस (data base) या जानकारी को उस कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम या कम्प्यूटर तंत्र से 'डाउन लोड' करता है, चाहे वह डेटा या जानकारी किसी स्थानान्तरणीय संचयन माध्यम में ही क्यों न रखी हो;

(c) किसी कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम या कम्प्यूटर तंत्र से किसी कम्प्यूटर प्रदूषक (contaminant) या कम्प्यूटर वायरस को प्रविष्ट कराता है या उसमें सहायक होता है;

(d) कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम या कम्प्यूटर तंत्र में स्थित किसी डेटा, डेटाबेस या प्रोग्राम को क्षति पहुँचाता है या पहुँचाने का प्रयास करता है;

(e) कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम या कम्प्यूटर तंत्र को बाधित (disrupt) करता है या ऐसा प्रयास करता है;

(f) किसी अधिकृत व्यक्ति को कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम, कम्प्यूटर तंत्र की पहुँच से वंचित करता है (या उसके उपयोग से वंचित करता है) चाहे इसके लिए कोई भी तरीक़ा अपनाया गया हो;

(g) इस अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत किसी व्यक्ति को कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम या कम्प्यूटर तंत्र तक 'पहुँच' को सुगम बनाता है;

(h) अगर वह किसी दूसरे व्यक्ति के खाते का ग़लत इस्तेमाल करता है; यानी उसकी जगह ख़ुद को प्रस्तुत करके कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम, कम्प्यूटर तंत्र में चालबाज़ी के द्वारा किसी व्यक्ति से सेवा-शुल्क प्राप्त करता है।

स्पष्टीकरण - इस खण्ड के उद्देश्य परः

(i) "कम्प्यूटर निरोधन (Computer Containment)" का मतलब ऐसे निर्देशों से है जिनका उद्देश्यः

(a) किसी कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम, कम्प्यूटर तंत्र में स्थित तारीख़ या प्रोग्राम को परिवर्तित करना, नष्ट करना, रिकॉर्ड करना या प्रेषित करना;

(b) किसी भी तरीक़े से कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम या कम्प्यूटर तंत्र के सामान्य कामकाज को अनाधिकार उपयोग में लाना या हड़पना।

2000 इंटरनेट के लिए अंतर्राष्ट्रीय गेटवे, अंतःसमुद्री केबल लैंडिंग मंच के निर्माण से सम्बन्धित कुछ सामान्य जानकारियाँ और दिशा निर्देश। भारत सरकार के सूचना मंत्रालय द्वारा जारी।

(2) इंटरनेट के अंतर्राष्ट्रीय गेटवे के रूप में स्थापित इस लैंडिंग स्टेशन (landing station) का इस्तेमाल सिर्फ़ इंटरनेट की आवाजाही के लिए ही होगा।

(7) दूर-संचार अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत किसी भी कर्मचारी को इस लैंडिंग स्टेशन के आकस्मिक निरीक्षण का अधिकार होगा ताकि इसके ग़ैर-क़ानूनी और जन-हित के ख़िलाफ़ इस्तेमाल को रोका जा सके, ताकि यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि अवतरण मंच के ज़रिए ही इंटरनेट यातायात हो।

(13) सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में ये अवतरण मंच स्थापित नहीं किए जाएँगे। इन क्षेत्रों के इंटरनेट केन्द्रों को वीएसएनएल के ज़रिए ही जाना होगा। इन क्षेत्रों की शिनाख़्त समय-समय पर की जाएगी। फ़िलवक़्त पंजाब, जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्वी प्रांत, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और गुजरात तथा तमिलनाडु के तटवर्ती प्रदेश (चेन्नई छोड़कर) ऐसे इलाक़े हैं।

(14) दूरसंचार के अधिकारियों द्वारा माँगे जाने पर ISP लाइसेंसधारी अपने ग्राहकों का विस्तृत बिल संबंधी ब्यौरा उपलब्ध कराएँगे।

(15) दूरसंचार अधिकारियों द्वारा निर्देशित किए जाने पर ISP के शिनाख़्त लाइसेंसधारी किसी ख़ास इंटरनेट साइट के प्रसारण को रोकने या ख़ास ग्राहक को सेवा से वंचित करने के लिए बाध्य होंगे।

(27) सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी एजेंसी लैंडिंग स्टेशन से गुज़रने वाली किसी भी चीज़, जैसे डेटा, फ़ैक्स, संवाद, विडियो, हर तरह के मल्टी-मीडिया पर नज़र रखेगी।

(28) यह मॉनिटरिंग या नज़र रखने का कार्य बीज शब्द/अभिव्यक्ति के मूल भाव/संदेश भेजने या प्राप्त करने वाले ग्राहक के पते (IP पता, e-mail पता) के आधार पर संभव होगा।

(29) इन संचार द्वार से गुजरने वाली समस्त सूचनाओं को स्कैन करना और उसमें से बीज शब्द/अभिव्यक्ति के मूल-भाव और पते के आधार पर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इंगित की गई सूचना को प्राप्त करना संभव होगा। प्राप्त की गई सूचनाओं को सुरक्षा एजेंसियों के लिए 'मेमरी' या 'डायरेक्टरी' में रखा जाएगा। इन सूचनाओं को रखने के लिए फ़ाइल की किसी अन्य डायरेक्टरी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह छानी गई सूचनाएँ इस प्रकार रखी जाएंगी कि सीधे फ़ैक्स की 'हार्ड कॉपी' और आँकड़े या संवाद/विडियो रिकार्डिंग के ऑडियो/विडियो टेप प्राप्त किए जा सकें। तारीख़ और रिकॉर्डिंग के समय 'रिकॉर्डों' की संख्या इत्यादि के लिए प्रत्येक एजेंसी रिकॉर्ड की गई सभी सूचनाओं का 'लॉग' (Log) तैयार करेंगी।

(30) मॉनिटरिंग सेन्टर या निरीक्षण केन्द्र के कम्प्यूटर में हर सुरक्षा एजेंसी के लिए कुछ निर्धारित जगह/स्मृति/डायरेक्ट्री/भंडारण निश्चित रहेगा।

(34) हर लाइसेंसधारी द्वारा हर केन्द्र पर दूर संचार अधिकारियों के लिए 20 x 20 फ़ीट का कार्यालय, जो वातानुकूलित और विद्युत की निरन्तर आपूर्ति से सुसज्जित होगा, मुफ़्त प्रदान किया जाएगा।

पोटा, 2002

> धारा - 3 के अनुसार हर व्यक्ति पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वह आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में हर तरह से पुलिस की मदद करे और आतंकवादियों से संबद्ध हर तरह की सूचना उसे दे।

> धारा - 14 के अनुसार दरयाफ़्त करने वाले हर अफ़सर को यह अधिकार है कि वह इस क़ानून के लिए ज़रूरी कोई भी सूचना किसी भी व्यक्ति से मांगे। (इस धारा से वकील और पत्रकार भी बाहर नहीं हैं। उन्हें अपने ग्राहकों और सम्पर्क के सभी व्यक्तियों से प्राप्त सूचना उपलब्ध करानी होगी)।

> धारा - 7 के अनुसार पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर के किसी भी दरयाफ़्त करने वाले अफ़सर को यह अधिकार है कि वह राज्य के पुलिस महानिदेशक से पूर्व आदेश के आधार पर ऐसी किसी भी सम्पत्ति को ज़ब्त कर ले जिसका लाभ आतंकवाद को मिलता है। जहाँ सम्पत्ति ज़ब्त करना संभव नहीं हो वहां इस

तरह का आदेश जारी किया जाए कि ऐसी सम्पत्ति का हस्तांतरण संभव न हो सके। ऐसे हस्तांतरण के लिए किसी निर्दिष्ट पदाधिकारी का आदेश आवश्यक होगा।

> धारा - 38 के अनुसार किसी आतंकवादी गतिविधि की तफ़्तीश कर रहे अफ़सर को यह अधिकार है कि वह तार, विद्युतीय और मौखिक संचार को अवरुद्ध करने के लिए उचित अधिकारी को आवेदन दे, बशर्ते अधिकारी को विश्वास हो कि इस तरह का कोई संवाद आतंकवादी गतिविधि में शरीक होने का प्रमाण है।

कम्यूनिकेशन कन्वर्जेंस बिल, 2001

मुख्य उद्देश्यः

1 सूचना आधारित समाज और सूचना तक पहुँच को संभव बनाने के लिए राष्ट्रीय आधार का विकास करना।
2 लोगों को समाचार, सूचना और मत-अभिमत की बहुलता प्रदान करने वाली सेवाओं में विकल्प की सुविधा देना।
3 प्रसारण, डेटा-संचार, मल्टी-मीडिया एवं दूरसंचार एवं सेवाओं के संगम की परिस्थिति में एक नियंत्रक ढाँचे की स्थापना करना।
4 किसी एक नियंत्रक और लाइसेंसिंग अधिकारी और ऐपेलेट ट्राइब्यूनल की शक्तियों, प्रक्रियाओं और कार्यविधियों को निर्धारित करना।

अतिरिक्त सामग्रीः ज़मरूदा खाण्डे
अनुवादः देवानंद, प्रभात कुमार